बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (कटिहार) 02–15/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, कटिहार के पत्रांक–1446/स्था0, दिनांक–09.11.2025 द्वारा **श्री मयंक आशुतोष आनन्द, प्रभारी अंचल अधिकारी, कदवा, कटिहार** के विरुद्ध सरकारी जन–कल्याणकारी/महत्वाकांक्षी परियोजनाओं यथा–कटिहार–कुमैदपुर एवं कटिहार–मुकुरिया का दोहरीकरण फेज–2 के कार्यान्वयन में घोर लापरवाही बरतने एवं भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्राप्त आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–170(15), दिनांक–20.02.2026 द्वारा श्री आनन्द से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक–635(15) दिनांक–12.05.2026 एवं पत्रांक–916(15) दिनांक–25.06.2026 से स्मारित किया गया, जिसके आलोक में श्री आनन्द द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–05.06.2026 से विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री आनन्द से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मयंक आशुतोष आनन्द के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, कटिहार** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री आनन्द से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, कटिहार/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, कटिहार/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई/श्री मयंक आशुतोष आनन्द, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, कदवा, कटिहार सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में मुख्यालय–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (कटिहार) 02–15/2025–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, कटिहार/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई/श्री मयंक आशुतोष पदस्थापन की प्रतीक्षा में **मुख्यालय–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (कटिहार) 02–15/2025–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), कटिहार को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (कटिहार) 02–15/2025–1815 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–07/10/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।
